

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE केन्द्रीय अत्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS सीमा शुल्क गृह, विल्तिंग्टन आईलेंड, कोज्ञिन

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant

customs.gov.in

An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in E-mail: commr@cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422 Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

मि.सं. सतर्कता/06/2019-सी. F. No. Vig./Misc./06/2019-Cus. कोच्ची, दिनांक 04 अप्रैल 2019. Kochi, dated 04 April 2019.

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में हाल ही में यह आया है कि, इस सीमाशुल्क गृह के अधिकारियों की ओर से निर्धारित कार्य समय के अनुपालन करने के लिए, इस संबंध में अधिसूचनाओं के जारी होते हुए एक सामान्य उदासीनता पाई जा रही है । अधिकारी भी सक्षम पर्यवेक्षक प्राधिकरण से उचित प्राधिकरण के बिना ड्यूटी से अक्सर अनुपस्थित पाए जाते हैं।

It has come to the attention of the undersigned that, of late, there has been a general indifference on the part of the officers of this Custom House to adhere to the work timings prescribed by notifications issued in this regard. Officers are also found to be frequently absenting from duty without proper authorisation from the competent supervisory authority.

2. उपस्थिति में समय की पाबंदी अनुशासन का एक अनिवार्य गुण है तथा प्रशासन हेतु अनुशासन के एक बुनियादी आदर्श होने के नाते का इस संबंध में किसी भी तरह की ढ़ील की अनुमित नहीं दी जा सकती। सभी स्तरों के अधिकारियों को देर से आगमन और कार्यालय से जल्दी प्रस्थान के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि एफ आर17-ए के आधार पर, ड्यूटी से अनिधिकृत अनुपस्थिति को कर्मचारी की सेवा में रुकावट (व्यवधान) या विराम माना जाएगा।

Punctuality in attendance being an essential attribute of discipline and discipline being a basic norm of administration, no laxity in this regard can be allowed. Officers at all levels are therefore cautioned against late arrival and early departure from office. Officers are also warned that by virtue of FR 17-A, unauthorised absence from duty shall be deemed an interruption or break in service of the employee.

3. देर से आने, जल्दी जाने तथा अनिधकृत अनुपस्थिति को एक सरकारी कर्मचारी के अनाचार के रूप में माना जाएगा, जो कर्तव्य के प्रति समर्पण में कमी को दर्शाता है। यदि ऐसे आचरण के उदाहरण पाए गए तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा और ऐसे आचरण का अभ्यास करने वाले अधिकारियों पर केंद्रीय नागरिक (सिविल) सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

Belated attendance, early departures and unauthorised absence shall be deemed as conduct unbecoming of a Government servant, which is reflective of deficiency in devotion to duty. Instances of such conduct, if noticed, would be strictly dealt with and officers practicing such conduct shall be liable to be proceeded against under

the provisions of the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rule 1965.

4. अनुभाग प्रमुख इस संबंध में समय-समय पर (सावधिक) जांच करेंगे और इन निर्देशों का अनुपालन न किए जाने की सूचना दी जाएगी। सतर्कता इकाई इस संबंध में औचक निरीक्षण भी करेगी।

Section heads shall conduct period checks in this regard and non-compliance with these instructions shall be forthwith reported. Vigilance unit shall also conduct surprise checks in this regard.

Sd/-

(सुमित कुमार SUMIT KUMAR) सीमाशुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS

प्रति To

- 1. सभी अधिकारी / सभी सहा. आयुक्त / उप आयुक्त / संयुक्त आयुक्त All Officers / All ACs /DCs/JC
- 2. आयुक्त के निजी सचिव PS to Commissioner

प्रति सूचनार्थ Copy for information to:

मुख्य आयुक्त केंद्रीय कर, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनन्तपुरम जोन, आई एस प्रेस रोड, कोचीन-682018. The Chief Commissioner of Central Tax, Customs & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, I S Press Road, Kochi-682018.

//अनुप्रमाणित ATTESTED//

कोशी अब्रहाम KOSHY ABRAHAM सीमा शुल्क अधीक्षक (सतर्कता) Superintendent of Customs (Vigilance)